/01/22 - पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि विपक्षी नं. 1 धीरम फौत हो चुका है। वादीगण/ प्रार्थीगण का मूल वाद पत्र का वाद हेतुक समाप्त हो जाने के कारण मूल वाद पत्र खारिज कर दिया गया है. जिससे उक्त उनवान प्रकरण में भी अब कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी हस्तक्षेप निषेधाज्ञा दिनांक 17.08.2021 निरस्त की जाकर प्रकरण वाद हेतुक समाप्त हो जाने से खारिज किया जाता है. पत्रावली नियमानुसार पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलक्टर (एसडीओ) महोदय

गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण :-

01. मांगीलाल पुत्र श्रीराम उम्र 55 वर्ष
02. लिखमीचन्द पुत्र श्रीराम उम्र 52 वर्ष
03. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम उम्र 48 वर्ष जाति देशान्तरी निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

<u>बनाम</u>

विप्रार्थीगण :-

01. श्रीराम पुत्र पाबूदान उम्र 84 वर्ष
02. चुनीलाल पुत्र श्रीराम उम्र 50 वर्ष
03. श्रवण कुमार मगाराम फौत के कायम मुकाम
   - 03/01. स्वरूप पुत्र श्रवण उम्र 20 वर्ष
   - 03/02. देवाराम पुत्र श्रवण उम्र 18 वर्ष
   - 03/03. गोपी पत्नि श्रवण उम्र 30 वर्ष
04. भीमा पुत्र मगाराम उम्र 64 वर्ष
05. मोहन पुत्र मगाराम उम्र 56 वर्ष
06. हरी पुत्र मगाराम उम्र 53 वर्ष
07. शंकर पुत्र मगाराम उम्र 47 वर्ष
08. भवरलाल पुत्र रामचन्द्र उम्र 62 वर्ष
09. पुखराम पुत्र दोलाराम उम्र 46 वर्ष
10. चेनाराम पुत्र [illegible] वर्ष
11. मदन पुत्र [illegible] वर्ष
12. नरपत पुत्र [illegible] उम्र 40 वर्ष
13. जगदीश पुत्र रूपाराम उम्र 42 वर्ष
14. अशोक पुत्र रूपाराम उम्र 30 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Jagdish Bishnoi
Regd No

03. कि ग्राम गुड़ामालानी पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 11756 क्षेत्रफल 5.2690 हैक्टेययर रकबा 32-11 बीघा का आया हुआ है जिनमें प्रार्थीगण के पिता का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है परंतु हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार श्रीराम के पुत्र के जन्म के साथ ही श्रीराम के साथ सह खातेदार के रूप में कायम हो गये इसीलिए श्रीराम के चार पुत्र होने से हिन्दु विधि के पैतृकता के सिद्धान्त अनुसार पिता के साथ पुत्र का बराबर हक हिस्सा होने से प्रत्येक का 1/25-1/25 हिस्सा बनता ह इसीलिए प्रार्थीगण का व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/25-1/25 हिस्सा एवं विप्रार्थी संख्या 3 से 7 की माता चंदा फौत होने से चंदा का हिस्सा इनमें समाहित होने से इनका संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बंट में आता है विप्रार्थी संख्या 8 का 1/5 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 9 व 10 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 11 से 15 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बनता है उसी अनुसार अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी होने से प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा पैतृक आराजी होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

04. कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 के पिता विप्रार्थी संख्या 1 के 04 सन्तान होने से श्रीराम के हिस्सा में प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/25-1/25 हिस्सा है इस कारण वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है और प्रार्थीगण अपने खानदान की पैतृक भूमि मे हिन्दु उत्तराधिकार [illegible] वाले हिस्से का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है और हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है और प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बटवारा कर काबिज है क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पुत्र,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested